FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प हुणगांव कलां

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
बीरबलराम		राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–189/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
10.12.2021	प्रार्थी बीरबलराम पुत्र चुतराराम जाति विश्नोई निवासी हुणगांव कलां तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प हुणगांव कलां में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम हुणगांव कलां तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 32/3 रकबा 0.1618 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 134/1 रकबा 11.7871 हैक्टेयर खसरा नम्बर 134/2 रकबा 10.1287 हैक्टेयर खसरा नम्बर 159 रकबा 2.1196 हैक्टेयर खसरा नम्बर 161 रकबा 1.0355 हैक्टेयर खसरा नम्बर 227/1 रकबा 3.0661 हैक्टेयर खसरा नम्बर 227/2 रकबा 4.4414 हैक्टेयर खसरा नम्बर 59 रकबा 1.3915 हैक्टेयर है। उक्त खातेदारी भूमि वादी के पिता चुतराराम पुत्र सिमरथराम जो की थी। चुतरारामजी का देहान्त करीब 19 वर्ष पूर्व में हो गया, उनके देहान्त का फौतेदगी नामांन्तकरण संख्या–368, 314 स्वीकृत किया गया। उन फौतेदगी नामान्तकरण में प्रार्थी का नाम बीरबलराम के बजाय हपाराम लिख दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम बीरबलराम है तथा सरकारी दस्तावेज भी बीरबलराम के नाम से जारी किये हुए है अन्त में निवेदन किया कि खातेदारी भूमि में हपाराम पुत्र चुतराराम के स्थान पर बीरबलराम पुत्र चुतराराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी बीरबलराम ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी बीरबलराम का आधारकार्ड, पहचानपत्र, जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 खसरा नम्बर 32/3 रकबा 0.1618 हैक्टेयर ग्राम हुणगांव कलां (हपाराम पुत्र चुतराराम), जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 खसरा नम्बर 134/1, 134/2, 159, 161, 227/1, 227/2, 59 ग्राम हुणगांव कलां (हपाराम पुत्र चुतराराम) आदि पेश किये है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर कार्यालय ग्राम पंचायत हुणगांव कलां द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र को पेश किया है। तथा वादी ने अपने वाद के समर्थन में गवाह पी.डब्लू. 2 बाबूलाल पुत्र चुतराराम जाति विश्नोई निवासी हुणगांव कलां तहसील बिलाड़ा के बयान कलमबद्ध [illegible] गये। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा ने जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली किया गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरा नाम उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में हपाराम लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मेरा खाता में नाम अंकित नहीं हो रहा है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:06:39 IST
Reason: SelfAttested

	पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम बीरबलराम के बजाय हपाराम दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम हुणगांव कलां तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 32/3 रकबा 0.1618 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 134/1 रकबा 11.7871 हैक्टेयर खसरा नम्बर 134/2 रकबा 10.1287 हैक्टेयर खसरा नम्बर 159 रकबा 2.1196 हैक्टेयर खसरा नम्बर 161 रकबा 1.0355 हैक्टेयर खसरा नम्बर 227/1 रकबा 3.0661 हैक्टेयर खसरा नम्बर 227/2 रकबा 4.4414 हैक्टेयर खसरा नम्बर 59 रकबा 1.3915 हैक्टेयर में हपाराम पुत्र चुतराराम के स्थान पर **बीरबलराम पुत्र चुतराराम** जाति विश्नोई निवासी हुणगांव कलां तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम हुणगांव कलां में खुले में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा	

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:06:39 IST
Reason: SelfAttested

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा [illegible]गांव कलां

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी **बनाम** **प्रतिवादी**

बीरबलराम पुत्र चुतराराम
जाति विश्नोई निवासी हुणगांव कलां

राजस्थान सरकार
तहसीलदार बिलाड़ा

तहसील बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 189/2021

निर्णय **दिनांक** :– 10.12.
2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या–1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम हुणगांव कलां तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 32/3 रकबा 0.1618 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 134/1 रकबा 11.7871 हैक्टेयर खसरा नम्बर 134/2 रकबा 10.1287 हैक्टेयर खसरा नम्बर 159 रकबा 2.1196 हैक्टेयर खसरा नम्बर 161 रकबा 1.0355 हैक्टेयर खसरा नम्बर 227/1 रकबा 3.0661 हैक्टेयर खसरा नम्बर 227/2 रकबा 4.4414 हैक्टेयर खसरा नम्बर 59 रकबा 1.3915 हैक्टेयर में हपाराम पुत्र चुतराराम के स्थान पर **बीरबलराम पुत्र चुतराराम** जाति विश्नोई निवासी हुणगांव कलां तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.12.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:06:39 IST
Reason: SelfAttested